

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, बड़सर,
जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण।

शीर्षक :

कमला देवी

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना-पत्र.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे।

प्रार्थिया श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री गोपी राम, निवासी गांव भेवड, डाकघर कड़साई, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने नियमानुसार अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन-पत्र दायर किया है कि उसका जन्म दम्पति श्री गोपी राम व श्रीमती दुर्गी देवी, निवासी गांव भेवड, डाकघर कड़साई, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0 के परिवार में दिनांक 07-10-1957 को हुआ है परन्तु उस समय अज्ञानतावश उसके नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत कड़साई के अभिलेख में न करवाया गया है और प्रार्थिया की जन्म तिथि आधार कार्ड में वर्ष 1965 गलत लिखा गया है। प्रार्थिया का आवेदन है कि सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत कड़साई को उसके नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे आदेश दिये जावें व आधार कार्ड में जन्म तिथि सही की जावे।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण व आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी को भी श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री गोपी राम के नाम एवं जन्म तिथि 07-10-1957 पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह अपना उजर अधोहस्ताक्षरी की अदालत/कार्यालय बड़सर में किसी भी कार्य दिवस को असातन या वकालतन दिनांक 25-07-2025 से पूर्व पेश कर सकता है। उक्त वर्णित दिनांक के उपरान्त पेश कोई भी एतराज मान्य न समझा जाएगा व आवेदन-पत्र पर नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 30-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री संजय शर्मा पुत्र श्री गरीब दास शर्मा, वासी खेड़ी, डाकघर वाहिना, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

शीर्षक :

श्री संजय शर्मा

बनाम

आम जनता

विषय.—नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी श्री संजय शर्मा पुत्र श्री गरीब दास शर्मा, वासी खेड़ी, डाकघर वाहिना, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने नियमानुसार अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन-पत्र दायर किया है कि मेरी बेटी का वास्तविक नाम इलियाना शर्मा (Elyana Sharma) है परन्तु उपरोक्त के आधार कार्ड में उसका नाम गलती से इनाया शर्मा (Inaaya Sharma दर्ज कर दिया गया है जोकि गलत है। प्रार्थी का आवेदन है कि आधार कार्ड में उसकी बेटी के नाम की दुरुस्ती की जावे।

अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि इलियाना शर्मा पुत्री श्री संजय शर्मा, वासी खेड़ी, डाकघर वाहिना, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) के कागजात में नाम दुरुस्ती करने बारे यदि कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना उजर/एतराज अधोहस्ताक्षरी की अदालत/कार्यालय में असालतन या वकालतन दिनांक 25-07-2025 को पेश कर सकता है। उक्त वर्णित दिनांक के उपरान्त पेश कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा।

आज दिनांक 30-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

**In the Court of Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Dhatwal at Bijhari,
Distt. Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

Balbir Singh

Versus

General Public

Notice to General Public.

Balbir Singh s/o Mahant Ram, r/o Village baragram, Tehsil Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.) has applied in this office for the entry of his date of birth which has taken place on 09-06-1966 but due to ignorance the same could not be entered in the record of Gram Panchayat Baragram. The applicant in support of the facts of the event has submitted the requisite documents and the same have been perused accordingly.

General public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding the entry of date of birth of the applicant *i.e.* 09-06-1966, they can either in

person or through counsel file their objections before the undersigned within 30 days from the issue of this publication, otherwise the matter shall be proceeded further accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 30-06-2025.

Seal.

Sd/-
Naib Tehsildar-cum- Executive Magistrate,
Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).

**In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Bhoranj,
District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

Asha Devi d/o Sh. Amar Singh, Village Rosoh, Post Office Kanjian, Tehsil Bhoranj,
District Hamirpur (H.P.) .. Applicant.

Versus

General Public . Respondent.

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, an application of Asha Devi d/o Sh. Amar Singh, Village Rosoh, Post Office Kanjian, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) alongwith affidavit and supporting documents has been received from Office of District Registrar (B&D)-cum-Chief Medical Officer, Hamirpur (H.P.) vide Letter No. HFW-HMR (ST-B & D) Del. 2024/1-13581, dated 16-06-2025 in which applicant Asha Devi has stated that she is born on 23-04-1968, but her date of birth is not registered in the Birth & Death register of Gram Panchayat Dhanwan. The applicant prayed to register the date of birth in the record of Gram Panchayat Dhanwan.

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth i.e. 23-04-1968 of Asha Devi in Panchayat record they may file their objections in writing or appear in person in this court on or before 03-08-2025 at 10.00 A.M., otherwise ex-parte proceeding will be initiated and orders of registration of date of birth will be passed accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this 3rd day of July, 2025.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर

किस्म मुकद्दमा

तारीख दायर

तारीख पेशी

श्रीमती ऊषा देवी उर्फ केसरी देवी विधवा मोहन सिंह, वासी मोहाल पनोह, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र.-नाम दुरुस्ती under section 37(1) 1954 प्रार्थिया श्रीमती ऊषा देवी उर्फ केसरी देवी विधवा मोहन सिंह, वासी मोहाल पनोह, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थिया श्रीमती ऊषा देवी उर्फ केसरी देवी विधवा मोहन सिंह, वासी मोहाल पनोह, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख वाक्या महाल पनोह में केसरी देवी विधवा मोहन सिंह दर्ज है जबकि उसका सही नाम ऊषा देवी विधवा मोहन सिंह है। लिहाजा इसे मोहाल पनोह के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करके केसरी देवी उर्फ ऊषा देवी विधवा मोहन सिंह किया जाए।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 25-07-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 08-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
49 / T/2025	नाम दुरुस्ती	05-11-2024	25-07-2025

श्रीमती रक्षा देवी पुत्री रूपा, वासी मोहाल चमयोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र.-नाम दुरुस्ती under section 37(1) 1954 प्रार्थिया श्रीमती रक्षा देवी पुत्री रूपा, वासी मोहाल चमयोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थिया श्रीमती रक्षा देवी पुत्री रूपा, वासी मोहाल चमयोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व

अभिलेख वाक्या मोहाल चमयोला में रतो देवी पुत्री रूपा दर्ज है जबकि उसका सही नाम रक्षा देवी पुत्री रूपा है। लिहाजा इसे मोहाल चमयोला के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करके रतो देवी उर्फ रक्षा देवी पुत्री रूपा किया जाए।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है यदि किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 25-07-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 08-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
40 / NT/2025	नाम दुरुस्ती	30-06-2025	21-07-2025

श्री राज कुमार पुत्र देविया राम, वासी मोहाल भरदूं, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
... वादी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र.-नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री राज कुमार पुत्र देविया राम, वासी मोहाल भरदूं, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री राज कुमार पुत्र देविया राम, वासी मोहाल भरदूं, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में राजू पुत्र देविया पुत्र घटारु दर्ज है जबकि उनका सही नाम राज कुमार पुत्र देविया पुत्र घटारु है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके मोहाल भरदूं के राजस्व अभिलेख में राजू उर्फ राज कुमार पुत्र देविया पुत्र घटारु किया जाए।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 21-07-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 02-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
42/T/2025	जन्म तिथि पंजीकरण	02-07-2025	21-07-2025

सुश्री सोमा देवी पुत्री मिलखी राम, वासी मोहाल बजरोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
वादि्या ।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी ।

जन्म तिथि पंजीकरण under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 सुश्री सोमा देवी पुत्री मिलखी राम, वासी मोहाल बजरोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ।

प्रार्थना-पत्र बराये जन्म पंजीकरण सुश्री सोमा देवी पुत्री मिलखी राम, वासी मोहाल बजरोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 07-10-1952 को ग्राम पंचायत बजरोल में हुआ था तथा सहबन गलती से जन्म तिथि दर्ज नहीं हो पायी है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत बजरोल में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 21-07-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत री में दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 03-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित /-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
43/T/2025	जन्म तिथि पंजीकरण	05-07-2025	21-07-2025

श्री अशोक कुमार पुत्र धर्म सिंह, वासी मोहाल नलाही, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
वादी ।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी ।

जन्म तिथि पंजीकरण under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 श्री अशोक कुमार पुत्र धर्म सिंह, वासी मोहाल नलाही, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

प्रार्थना-पत्र बराये जन्म पंजीकरण श्री अशोक कुमार पुत्र धर्म सिंह, वासी मोहाल नलाही, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 20-03-1968 को ग्राम पंचायत लम्बरी में हुआ था तथा सहबन गलती से जन्म तिथि दर्ज नहीं हो पायी है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत लम्बरी में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 21-07-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत लम्बरी में दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 05-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् विवाह पंजीकरण अधिकारी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

1. श्री कुलदीप चंद पुत्र देवी सिंह, निवासी टीका उहल, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

2. श्रीमती सीमा देवी पुत्री श्री राम दास, निवासी टीका लुहारडा, डाकघर उटपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—विवाह पंजीकरण under/section 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अधीन दर्ज करवाने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थीगण ने दिनांक 14-02-1989 को आपस में हिन्दू रीति-रिवाज अनुसार विवाह किया है, लेकिन किसी कारणवश यह विवाह ग्राम पंचायत उहल में दर्ज नहीं हो सका। प्रार्थीगण अब इस विवाह को ग्राम पंचायत उहल के रिकार्ड में पंजीकृत करवाना चाहते हैं। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस विवाह के पंजीकरण बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर दिनांक 25-07-2025 तक एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 28-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी,
बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि० प्र०)।
